

**भारत सरकार**  
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**  
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2089**  
**01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**  
**पीएचसी का सीपीएचसी में स्तरोन्नयन**

**† 2089. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 1.5 लाख उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (सीपीएचसी) में उन्नत करने की योजना बनाई है;
- (ख) यदि हाँ, तो ऐसे बदलाव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या ये सीपीएचसी देश में संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार की बीमारियों का उपचार कर पाएँगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) इन केंद्रों पर प्रशिक्षित जनशक्ति और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) देश भर के राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित नैदानिक सेवाओं का राज्य-वार व्यौरा क्या है;
- (च) सीपीएचसी मॉडल के माध्यम से रोग निवारण और स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;
- (छ) क्या सरकार सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के एकीकरण की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और डेटा की निजता और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का व्यौरा क्या है; और
- (ज) स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र (एचडब्ल्यूसी) योजना के अंतर्गत सीपीएचसी की स्थापना एवं रखरखाव के लिए कुल कितना बजट आवंटन किया गया है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**  
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, 15.07.2025 तक भारत में कुल 1,78,154 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) [पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)] संचालित किए गए हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से, उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करते हैं।

(घ): आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बारह पैकेज सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत बुनियादी ढाँचे, अतिरिक्त मानव संसाधन, आवश्यक दवाओं और एवं नैदानिक सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों आदि सहित आवश्यक संसाधनों से युक्त हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीमों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि लोगों के घरों के पास व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

(ङ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 2015 में 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' (एफडीएसआई) कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य समुदाय के निकट ही सुलभ और किफायती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएँ प्रदान करना है। एफडीएसआई का उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर निःशुल्क निदान की विस्तृत शृंखला प्रदान करना है, जिसमें उप-केंद्रों पर 14 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63 परीक्षण शामिल हैं।

(च): बीमारियों के उपचार के अलावा, प्रोत्साहक और निवारक स्वास्थ्य परिचर्या, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक अभिन्न अंग है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) में योग, साइकिलिंग और ध्यान जैसी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। 30.06.2025 तक की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) में कुल 5.73 करोड़ स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

(छ): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के तहत स्वास्थ्य आंकड़ों की पारस्परिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करना है ताकि प्रत्येक नागरिक का दीर्घकालिक इलैक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सृजित किया जा सके और इससे स्वास्थ्य सेवा सुलभ होगी, सेवा वितरण में सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ेगा और व्यय में कमी आएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) द्वारा निर्मित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक, द्वितीयक और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं में निर्बाध रूप से देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करता है। 79.75 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) आईडी बनाए जा चुके हैं और अब तक 65.34 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) को विभिन्न स्वास्थ्य पोर्टलों में जोड़ा जा चुका है।

(ज): आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) की स्थापना और एक वर्ष की रखरखाव की अनुमानित लागत लगभग 17.03 लाख रुपये है, जिसमें एकमुश्त लागत और एक वर्ष के लिए आवर्ती लागत शामिल है। एनएचएम के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) की स्थापना और रखरखाव के लिए कुल बजट की स्वीकृति एनएचएम आरओपी (कार्यवाही रिकॉर्ड) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अनुसार प्रदान की जाती है।